प्रारूप दो
(नियम ३ देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

क्रमांक छ0ग0 राज्य-4344

यह प्रमाणित किया जाता है कि —छत्तीसगढ़ कंवर समाज विकास समिति- सोसायटी जो -सामाजिक भवन अय्यपा मंदिर के सामने टाटीबंध रायपुर- तहसील -रायपुर- जिला -रायपुर- में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 03-07-2013 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

सोसायटियों का रजिस्ट्रार

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

1. संस्था का नाम – छत्तीसगढ़ कंवर समाज विकास समिति
2. संस्था का कार्यालय – सामाजिक भवन अम्बिका मंदिर के सामने टाटीबंध रायपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य रहेगा।
4. संस्था का उद्देश्य – (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है

01 कंवर समाज के सदस्यों में एकता की भावना जागृत कर समाज की परम्पराओं एवं रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करना तथा समाज के युवा/युवतियों को संगठित करना।

02 समाज में समय–समय पर धार्मिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

03 समाज के लोगों को शिक्षित करना तथा उच्च शिक्षा हेतु उचित प्रयास करना समाज के प्रतिभावान एवं होनहार छात्र–छात्राओं के साथ–साथ समाज के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित करना तथा समय–समय पर व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन कर समाज के उन्नति हेतु उचित प्रयास करना।

04 समाज में विवाह योग्य युवक–युवतियों के परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

05 समाज के कमजोर, विकलांग, अंधा, मूक, बधिर लोगों की सहायता करना। प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना।

06 समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों जैसे अंधविश्वास, दहेज, नशा, छुआ–छूत आदि बुराईयों को दूर कर लोगों में समरसता की भावना जागृत करना।

07 समाज के उत्थान हेतु जिला एवं विकास खण्ड के स्तर पर सामाजिक भवन सांस्कृतिक भवन के विकास के लिए विशेष सहयोग एवं प्रयास करना।

08 समाज के समस्याओं को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर उनके उचित निराकरण हेतु प्रयास करना।

09 संपूर्ण मानव समाज में स्वावलंबन की भावना जागृत करना। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना।

10 समाज में कमजोर, विकलांग, पिछड़े एवं गरीब लोगों के लिए शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

<u>नियमावली</u>

1. संस्था का नाम — छत्तीसगढ़ कंवर समाज विकास समिति
2. संस्था का कार्यालय — सामाजिक भवन, [illegible] के सामने, टाटीबंध [illegible]
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा।
4. संस्था का उददेश्य — (जो ज्ञापन पत्र मे अंकित है वही लिखे)

01 कंवर समाज के सदस्यो मे एकता की भावना जागृत कर समाज की परंपराओं एवं रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करना तथा समाज के युवा/युवतियो को संगठित करना।

02 समाज मे समय–समय पर धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन करना।

03 समाज के लोगों को शिक्षित करना तथा उच्च शिक्षा हेतु उचित प्रयास करना समाज के प्रतिभावान एवं होनहार छात्र–छात्राओं के साथ–साथ समाज के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित करना तथा समय–समय पर व्याख्यान, कार्यशाला का आयोजन कर समाज के उन्नति हेतु उचित प्रयास करना।

04 समाज मे विवाह योग्य युवक–युवतियों के परिचय सम्मेलन व सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

05. समाज के कमजोर, विकलांग, अंध, मुक, बधिर लोगों की सहायता करना। प्राकृतिक आपदाओं मे सेवा कार्य संचालित करना।

06 समाज मे फैली व्याप्त कुरीतियो जैसे अंधविश्वास, दहेज, नशा, छुआ–छुत आदि बुराईयो को दूर कर लोगो मे समन्वयता की भावना जागृत करना।

07 समाज के उत्थान हेतु जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सामाजिक भवन सांस्कृतिक भवन के विकास के लिये विशेष सहयोग एवं प्रयास करना।

08 समाज के समस्याओ को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर उसके उचित निराकरण हेतु प्रयास करना।

09 संपूर्ण समाज मे स्वावलंबन की भावना जागृत करना। उन्हे आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना।

10 समाज मे कमजोर, विकलांग, पिछड़े एवं गरीब लोगों के लिए शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

(2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावली की अवहेलना करने पर।

(3) संस्था का देय सदस्य शुल्क नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

(4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर।

(5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने के निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

9. <u>सदस्यता पंजी</u> –

कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे –

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय

(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों का प्रवेश दिया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

10. (अ) <u>साधारण सभा</u> :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य सम्मिलित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह अप्रेल तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) <u>प्रबंधकारिणी सभा</u> :– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) <u>विशेष</u> :– कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों के द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u> :–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय–व्यय पत्रक को स्वीकृत करना।

(च) बजट का अनुमोदन करना।

12. <u>प्रबंधकारिणी का गठन</u> :– यदि ट्रस्टीज हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ.ब.स) मे दर्शाये गये सदस्यो जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो, बैठक मे चुनाव के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष, ([illegible] (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष

(5) सयुक्त सचिव [illegible] (6) [illegible] सदस्य – 2

13. <u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u> :– प्रबंध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। समिति का एकेट फाउण्ड होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का गठन नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता, तब तक करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. <u>प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य</u> :–

(क) जिन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ती एवं पूर्ती हेतु व्यवस्था करना।

(ख) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षण किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।

(ग) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(घ) कर्मचारियों, शिक्षको आदि की नियुक्ति करना।

(ङ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नही की जाएगी।

(ण) विशेष बैठक आमन्त्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से समर्थित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

17. (अ) <u>मुख्यसचिव के अधिकार</u> :–

सचिव के अधिकार एवं प्रबंधकारिणी द्वारा समस्त कार्यों का निर्वहन की समीक्षा एवं निरीक्षण करने के उपरांत अनुमोदन प्रदान करना। समस्त दस्तावेज पंजी आदि की पूर्ती अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूर्ण करेगा।

(ब) <u>सचिव के अधिकार</u> :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

18. <u>संयुक्त सचिव के अधिकार</u> : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. <u>कोषाध्यक्ष के अधिकार</u> :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना। अध्यक्ष के अनुमोदन पर व्ययों का भुगतान करेगा। पंजी का संधारण करना।

20. <u>बैंक खाता</u> :– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।

21. <u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी</u> :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर, कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय-नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. <u>संशोधन</u> :- संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फार्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान मे संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क-सहित प्रस्तुत की जायेगी।

23. <u>विघटन</u> :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सपंत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. <u>संपत्ति</u> :- संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सपंत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. <u>बैंक खाता</u> :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट-ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

26. <u>पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना</u> :- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फार्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. <u>विवाद</u> :- संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति कि विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है –

अनुक्रमांक (1)	नाम / पिता / पति का नाम (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
01	श्री जवाहर लाल पिता स्व.जगमोहन राम	मकान नं. MIG - 42, टाटीबंध रायपुर	सेवानिवृत्त
02	श्री एम.एस. पैकरा (IAS) वल्द स्व. श्री ए0एस0पैकरा	मकान नं. A/64 आम्रपाली, हाउसिंग सोसाइटी लालपुर रायपुर	नौकरी
03	श्री राम सिंह ठाकुर (IAS) पिता स्व. श्री बेरासू राम	मकान नं. MIG(S) - 26 कबीर नगर रायपुर	नौकरी
04	श्री मोहित राम कुरूवंशी पिता स्व. श्री पुनीत राम कुरूवंशी	गायत्री शक्ति पीठ तिल्दा नेवरा रायपुर	सेवानिवृत्त
05	श्री बोध राम कंवर पिता श्री स्व. राम नाथ	पचपढ़ी नाका लक्ष्मी नगर रायपुर	नौकरी
06	श्री एस.के कंवर वल्द स्व. सोनऊ राम	लक्ष्मी नगर रायपुर	नौकरी
07	श्री आर.एन. साय वल्द श्री खुल्लन साय	मकान टी –7 जीवन विहार रायपुर	नौकरी
08	श्री गणेश राम पैकरा वल्द स्व. श्री लाल साय	मकान नं. सी – 62 सेक्टर –01 न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर	नौकरी
09	श्री फगुआ साय भगत वल्द स्व. श्री डी.एस. भगत	विनोबा नगर, गायत्री मंदिर के पास, बिलासपुर जिला–बिलासपुर	सेवानिवृत्त

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

संस्था छत्तीसगढ़ रूवर धनाज विकास समिति

पंजीयन क्र. 4344 31-7-13

31-7-13

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

संस्था छत्तीसगढ़ कंवर समाज विकास समिति

पंजीयन क्र 4344 3/7/13

* पंजीकृत ... निवासायी

* ... प्रतिलिपि ...

31.7.13

(O. D. ...)